



KRISHI VIGYAN KENDRA:GUDAMALANI, BARMER
Directorate of Extension Education, (A.U. Jodhpur) 342 304



Phone 9829155490
kvkgudamalani@gmail.com

Date: 26.10.2020

No. KVK/Guda/2020/344


निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र गुडामालानी के फार्म पर रबी वर्ष 2020-21 में हिस्सा आधारित बीज उत्पादन खेती करने के लिए मोहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त खेती करने के लिए निविदा प्रपत्र की 500/- के शुल्क 200/- प्रति प्रपत्र के हिसाब से उक्त कार्यालय से रोकड़ जमा कर दिनांक 26.10.2020 से किसी भी कार्य दिवस में को दिनांक 06.11.2020 11.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। निविदाएं दिनांक 06.11.2020 दोपहर 1.00 बजे खोली जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अघोहरस्ताक्षरकर्ता को होगा।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. श्रीमान निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विष्वविद्यालय जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर।
4. समस्त समिति सदस्य-
 1. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
 2. डॉ. लखमाराम चौधरी
 3. डॉ. हरि दयाल चौधरी
 4. श्री दिनेश कुमार।
5. बस स्टेशन गुडामालानी।
6. नोटिस बोर्ड/ कृ.वि.के.।
7. निविदा फाईल।
8. कार्यालय प्रति।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी

(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा (2020-21)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	
निविदा क्रम संख्या	No. KVK/guda/2020/ दिनांक:-
निविदा प्रपत्र शुल्क	200 /-रुपये रसीद संख्यादिनांक:-
निविदा वर्ष	2020-21
खेती की अनुमानित अवधि	रबी (नवम्बर 2020 से जून 2021 तक)
अनुमानित लागत	एक लाख रुपये
परिष्ठ संख्या-एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिष्ठ संख्या-दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्त
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	26-10-2020
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	06-11-2020 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	06-11-2020 दोपहर 01 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी
पत्राचार हेतू पता	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी

नोट:-धरोहर राशि कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 06.11.2020 तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि प्रोग्राम कॉर्डिनेटर, कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी के नाम से देय हो, जमा करायी जा सकती है।

सलग्न:-निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें-

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

परिशिष्ट-1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2020-21)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करे)

निविदा क्रम संख्या	
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2020-2021 में बीजोत्पादन फसलो की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	रबी (नवम्बर 2020 से जून 2021 तक)
निविदादाता का नाम व पता दुरभाष नं..... आधार नं.....
धरोहर राशि का विवरण	रुपये 2000 (अक्षरे दो हजार मात्र)(रोकड़/बैंक ड्राफ्ट) रसीद सं..... दिनांक..... बैंक ड्राफ्ट सं..... दिनांक..... बैंक का नाम शाखा.....

कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी के फार्म पर वर्ष 2020-21 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की पैदावार में दाना/बीज उपज में निविदादाता / ठेकेदार एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी की हिस्सेदारी:-

क्रं सं	मौसम व वर्ष	निविदादाता/ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी का हिस्सा (प्रतिशत में)	निविदादाता के हिस्से का उत्पादन कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी द्वारा क्रय करने पर ओसत दर से देय भुगतान के अतिरिक्त राशि (बोनस 100 रुपये प्रति किग)
1	रबी वर्ष 2020-21			

हस्ताक्षर-निविदादाता (ठेकेदार)

निविदादाता का नाम.....

पता.....

.....

आधार नं.....

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु आवश्यकशर्त

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

- 1 निविदा सीलबन्द लिफाफे में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी के नाम से देय हो तथा निविदा लिफाफे पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलो की खेती हेतु निविदा दिनांक 06.11.2020 तक देय तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
- 2 निविदा बॉलप्वार्ट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंको व शब्दों में लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।
- 3 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
- 4 निविदा दरें वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदन के बाद उक्त समय अवधि के लिए मान्य होगी। कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा व सिंचाई आधारित होता है।
- 5 निविदा के साथ 2000 रुपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि प्रोग्राम कॉर्डिनेटर, कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी के नाम देय हो, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवम समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बैंक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 6 ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व केल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे डीजल खर्च व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगे।
- 7 बुवाई हेतु बीज व खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करायेगा। अर्थात् बुवाई से फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरो में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
- 8 फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा। परन्तु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
- 9 बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएँ जैसे निराई-गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधों को निकालना) वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।
- 10 निराई-गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बंधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोकें जाने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष / फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर का होगा।
- 11 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।
- 12 फसलो की रखवाली करने की, समय पर निराई-गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।
- 13 ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा। अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
- 14 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी।
- 15 फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा। तथा ना ही यहां से चारा आदि ले जाने दिया जायेगा। कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी के फार्म पर उपलब्ध घास, लुगं, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।

- 16 निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा। अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
- 17 निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना जाना करना होगा। किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी
- 18 हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलो के चयन का अधिकार कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी का होगा।
- 19 केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष /फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलो की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलो की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।
- 20 फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे।
- 21 निविदादाता को रबी -2020-21 में बीजोत्पादन फसलो की खेती से प्राप्त उपज उक्त मौसमो की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।
- 22 फार्म में उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के तुरन्त पश्चात कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के ओसत भाव से अतिरिक्त राशि (प्रतिषत में) जो कि निविदा स्वीकृति में देय है की दर से भगतान करेगा। अन्यथा ठेकेदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतन्त्र होगा।
- 23 केन्द्र के फार्म पर बीजोत्पादन कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। इसमें केन्द्र कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 24 बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे में ठेकेदार व केन्द्र के हिस्से के अनुपात में होगा।**
- 25 अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 26 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के नियंत्रण में प्रस्तुत करना होगा। और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।
- 27 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, गुड़ामालानी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुझे निविदा की समस्त 27 शर्तें मजूर हैं। तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता / ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक.....

निविदादाता का नाम.....

पता.....

.....

आधार नं.....

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

- 1
- 2
- 3

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष